UPAG010061442026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

पूरक जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 2616/2026

रामू उर्फ रामप्रकाश पुत्र निरंजन सिंह निवासी– ग्राम श्यामो थाना– एकता जिला आगरा उम्र करीब 23 वर्ष

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 55/2026
धाराः 66डी आई0टी0 अधिनियम
थानाः सिकन्दरा, जिला आगरा

दिनांकः 06.06.2026

प्रस्तुत पूरक जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त रामू उर्फ रामप्रकाश की ओर से मु0अ0सं0 55/2026 अन्तर्गत धारा–66डी आई0टी0 अधिनियम थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता निरंजन सिंह ने शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से पूरक जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 55/2026 अन्तर्गत धारा–318(4),61(2),338,340(2),336(3) भारतीय न्याय संहिता थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को निरस्त किया गया है। प्रकरण में अन्य धाराओं के साथ धारा 66डी आई0टी0 अधिनियम में भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतएव अभियुक्त को धारा 66डी आई0टी0 अधिनियम में जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त

का जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 55/2026 अन्तर्गत धारा–318(4),61(2),338,340(2),336(3) भारतीय न्याय संहिता थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में दिनांक 09.03.2026 को निरस्त किया जा चुका है, एवं प्रकरण में अन्य धाराओं के साथ धारा 66डी आई0टी0 अधिनियम में भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त रामू उर्फ रामप्रकाश का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–888/2026 मु0अ0सं0 55/2026 अन्तर्गत धारा–318(4),61(2),338,340(2),336(3) भारतीय न्याय संहिता थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य धाराओं के साथ धारा 66डी आई0टी0 अधिनियम में भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त की मुख्य अपराध में जमानत माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, जमानत स्वीकार नहीं हुई है। चूंकि अभियुक्त का रामू उर्फ रामप्रकाश का मु0अ0सं0 55/2026 अन्तर्गत धारा–318(4),61(2),338,b 340(2),336(3) भारतीय न्याय संहिता थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय में जमानत के संबंध में प्रकरण लम्बित होना कहा गया है। अतएव धारा 66डी आई0टी0 अधिनियम में अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं एवं पूरक जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रामू उर्फ रामप्रकाश का धारा 66डी आई0टी0 अधिनियम में प्रस्तुत पूरक जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश, आगरा
06.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.06 13:43:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court